भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4518

उत्तर देने की तारीख : 27.03.2025

एमएसएमई क्षेत्र को ऋण

4518. श्री ए. राजा:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में लघु उद्योगों के लिए बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इन इकाइयों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं जिनमें वहनीय ऋण, प्रौद्योगिकी, बाजार तक पहुंच आदि शामिल है; और

(ग) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी एजेंसियों को एमएसएमई इकाइयों से सार्वजनिक खरीद में वरीयता देने के लिए कोई निर्देश जारी किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किया गया है, विगत तीन वित्त वर्षों के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा एमएसएमई को संवितरित राशि निम्नानुसार है:

राशि (करोड़ रुपए में)

एससीबी द्वारा संवितरित ऋण					
क्र.सं.	**वित्त वर्ष**	**सूक्ष्म**	**लघु**	**मध्यम**	**कुल**
1.	मार्च - 2022	4,63,622.67	4,31,696.01	3,71,346.79	12,66,665.47
2.	मार्च - 2023	6,43,150.40	5,79,554.50	4,74,033.35	16,96,738.26
3.	मार्च - 2024	8,95,633.99	7,16,599.44	5,92,221.56	22,04,454.98

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

(ख) : एमएसएमई क्षेत्र को सहायता और सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए, सरकार विभिन्न उपायों का कार्यान्वयन करती है, जिसमें अन्य के साथ-साथ वहनीय क्रेडिट तक पहुंच, प्रौद्योगिकी और विपणन सहायता के लिए उपाय शामिल हैं। उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

(i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) : सीजीएस के पास 90% तक के गारंटी कवरेज के साथ एमएसई को 500 लाख रुपए की सीमा तक कोलेटरल मुक्त ऋणों का प्रावधान है। सीजीएस के तहत एमएसई हेतु प्रदान की गई गारंटियों की संख्या और अनुमोदित राशि नीचे दी गई है:

अवधि	**वित्त वर्ष-2000-01 से वित्त वर्ष-2019-2020 तक**	**वित्त वर्ष-2020-2021 से वित्त वर्ष-2024-2025 तक**
अनुमोदित गारंटियों की संख्या	43,53,591	64,81,482
अनुमोदित गारंटियों की राशि (करोड़ रुपए में)	2,28,704	6,55,987

(ii) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), विनिर्माण और सेवा उद्यमों के लिए क्रमश: 50 लाख रुपए और 20 लाख रुपए की परियोजना लागत के साथ गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु 35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करता है।

(iii) विशिष्ट क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (एससीएलसीएसएस) संयंत्र और मशीनरी/उपकरण की खरीद हेतु संस्थागत वित्त पर अ.जा./अ.ज.जा. के एमएसई को 25% की सब्सिडी प्रदान करती है।

(iv) पीएम विश्वकर्मा योजना 18 व्यापारों में कार्यरत कारीगरों और शिल्पकारों, जो अपने हाथों और औजारों से काम करते हैं, को संपूर्ण सहायता प्रदान करती है, जिसमें कौशल, आधुनिक टूलकिट, सब्सिडीयुक्त क्रेडिट सहायता, विपणन सहायता, डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहन आदि शामिल हैं।

(v) प्रधान मंत्री मुद्रा योजना गैर-निगमित, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान करती है।

(vi) देश में प्रौद्योगिकी केंद्रों/टूल रूम के नेटवर्क, एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु आधुनिक विनिर्माण प्रौद्योगिकियों, प्रशिक्षण और कौशल एवं व्यावसायिक परामर्शी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने में सहायता प्रदान करते हैं। जेड 2.0 स्कीम, प्रमाणन स्तर की बेहतर प्रभावकारिता तथा गुणवत्ता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए शुरु की गई है। एमएसई को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने हेतु व्यापार सक्षमता और विपणन टीम स्कीम की शुरुआत की गई है।

(vii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को सुनिश्चित बाजार शेयर प्रदान करती है। खरीद और विपणन सहायता स्कीम (पीएमएसएस) व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों, विक्रेता विकास कार्यक्रमों, आधुनिक पैकिजिंग तकनीकों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को अपनाने, के माध्यम से बाजार तक पहुंच बनाने के लिए एमएसई को लाभ प्रदान करती है। पीएमएसएस के विभिन्न घटकों के तहत लाभान्वित उद्यमों की संख्या निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	लाभान्वित उद्यमों की संख्या	व्यय (करोड़ रुपए में)
2020-21	3,276	12.48
2021-22	2,332	5.17
2022-23	22,998	27.49
2023-24	35,000	68.69

(ग) : एमएसएमई मंत्रालय ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया है। उक्त नीति के अनुसार, अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 4% तथा महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 3% की खरीद सहित सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसयू को उनकी वार्षिक खरीद का 25% एमएसई से खरीदना अधिदेशित करती है।

*****